>

Title: Need to safe toilet facilities for women in the country.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): अध्यक्ष महोदया, मैं आसन का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं शून्य पूहर में एक बड़ी गंभीर समस्या की ओर इस सॉवरेन सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 63 वर्षों की आजादी के बाद भी मानव समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए आज तक सुरक्षित शौच की व्यवस्था नहीं हुई है। लगभग 25 करोड़ महिलाएं आज भी खुले में शौच के लिए बाध्य होती हैं। दस में से सात महिलाएं शौच के क्रम में बलात्कार की शिकार हो जाती हैं। दलित, महा-दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग की महिलाओं की स्थिति भयावह है, दर्दनाक है। उनके शौच की जो व्यवस्था देश स्तर पर विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है, वह भ्रष्टाचार के नाग द्वारा उसके दंश से लहुलुहान है।

ऐसी महिलाओं के लिए दिन हो या रात, अंधेरा ही अंधेरा है, बेबसी है और उनकी बेकसी ने समाज के सामने प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया है। जहां न जाने कितनी उपमाओं से पुरूष के द्वारा उन महिलाओं को मंडित किया जाता है, पर व्यवहार में वे आज भी भयानक शोषण की शिकार हैं। आज भी महिलाओं को इस समाज ने अपना कोई घर नहीं दे रखा है। वे सबसे ज्यादा उपेक्षित, प्रताड़ित और हिंसा की शिकार हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सम्पूर्ण देश में एक अभियान चलाकर हमारे दामन पर जो दाग लगे हुए हैं, उन्हें समाप्त करने हेतु आप महिलाओं के लिए सुरक्षित शौच की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदया : श्री राजेन्द्र अग्रवाल और

श्री अशोक अर्गल अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।